राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल),
सी– विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2.

सं०फा० 2(05)/2011–12/भाषा/3044-3058

दिनांक: 28/10/11

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
3. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
5. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम (मुख्यालय), इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
6. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई०एन०ए०, नई दिल्ली।
7. विभागाध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
8. निदेशक (प्र० एवं का०), दिल्ली जल बोर्ड, झंडेवालान, नई दिल्ली।
9. उप–सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली–2
11. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली–2
12. अतिरिक्त उपायुक्त (भाषा), राजभाषा अनुभाग, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
13. प्रधानचार्य, तीब्बया कालेज, अजमल खां रोड, नई दिल्ली–5
14. सी०ई०ओ०, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दरियागंज, नई दिल्ली–2
15. सी०ई०ओ०, दिल्ली स्टेट हज कमेटी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–2

विषयः सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स एवं उर्दू निबंध व सुलेख प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी।

महोदय,

दिल्ली सरकार की नई भाषा नीति और "दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000" के संदर्भ में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार और सरकारी काम काज में उर्दू के एक अनिवार्य स्तर तक प्रयोग की दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित/प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भाषा विभाग (उर्दू सैल) की उर्दू प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में उर्दू निबंध एवं सुलेख प्रतियोगिता और उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन निम्न विवरण के अनुसार किया जा रहा है:–

क्र० स०	कार्यक्रम
1	उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स
2	उर्दू निबंध प्रतियोगिता
3	उर्दू सुलेख प्रतियोगिता

उर्दू प्रतियोगिता का वर्ग विभाजन निम्न प्रकार है।

(1) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता: (कुल अंक 50, समय 20 मिनट)

वर्ग 'क': भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या समकक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख': सीनियर सैकेंडरी स्तर से उपर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ग': उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

(2) उर्दू निबंध प्रतियोगिता: (कुल अंक 100, समय 60 मिनट)

वर्ग 'क': भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख': सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ग': सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उूर्द भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'घ' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा के एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार 2100/– रू 1500/–रू 1100/–रू एवं 500/–रू नकद प्रथम, द्वितीय,तृतीय, एवं पाचं प्रोत्साहन पुरस्कार, मोमेन्टो, पुस्तकें एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएगें।

(3) चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स:–

उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में कोई वर्ग विभाजन नही है। इस में सभी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी एवं उर्दू भाषा व उर्दू माध्यम के आध्यापकों को छोडकर, अन्य सभी विषयों के उर्दू जानने वाले अध्यामपक भाग ले सकते हैं। इस में भाग लेने वाले अधिकरियों/कर्मचारियों को कुल 100/–रू यात्रा भत्ता, पुस्तकें/शब्द कोष, कलम, नोट बुक एवं प्रमाण पत्र भी दिये जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय एवं इसके अधीन समस्त निकायों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतियोगिता एवं रिफ्रेशर कोर्स के बारे में अवगत करवाने का कष्ट करें एवं इच्छुक अधिकरियों/कर्मचारियों के नाम इस विभाग को दिनांक 30.11.2011 तक भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

आरफी 27/10/2011

(अश्फाक अहमद आरफी)
उर्दू अधिकारी
दूरभाष संख्या 23392348
दिनांक:

सं०फा० 2(05)/2011–12/भाषा/3044-3058

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रसारित:–

1. सचिव, उप–राज्यपाल, दिल्ली।
2. निजि सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सचिवालय के समस्त विभागाध्यक्ष।

आरफी 27/10/2011

(अश्फाक अहमद आरफी)
उर्दू अधिकारी

उर्दू प्रतियोगिता की नियमावली

1. इन प्रतियोगिताओं का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की (i) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता (ii)उर्दू निबंध प्रतियोगिता, है। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नई भाषा नीति के अन्तर्गत उर्दू भाषा के प्रोत्साहन और प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त दिल्ली सरकार एवं इसके अधीनस्थ स्थनीय निकायों स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू के प्रति रूचि पैदा करना और उन्हें विभागीय काम काज में एक अनिवार्य स्तर तक उर्दू के प्रयोग, की दिशा में प्रेरित करना है।
2. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भी भाग ले सकते है।
3. प्रतियोगी उर्दू की किसी एक प्रतियोगिता में अथवा सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इन में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने नाम उर्दू अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली के पास उचित माध्यम द्वारा भेजने होंगे।
5. **उर्दू सुलेख प्रतियोगिता** के कुल अंक 50 होंगे, इसका समय 20 मिनट होगा और इसके निम्न वर्ग होंगे:–

   वर्ग 'क': भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

   वर्ग 'ख': सीनियर सैकेंडरी स्तर से उपर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये।

   वर्ग 'ग': उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
6. **उर्दू निबंध प्रतियोगिता** के अंक 100 होंगे, इसका समय 1 घंटा होगा और इसमें निम्न वर्ग होंगे:–

   वर्ग 'क': भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

   वर्ग 'ख': सीनियर सैकेंडरी स्तर से ऊपर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

   वर्ग 'ग': सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

   वर्ग 'घ': उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)
7. प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित हैं:–

प्रथम पुरस्कार	(एक)	2100/–रूपये
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	1500/–रूपये
तृतीय पुरस्कार	(एक)	1100/–रूपये
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पाचं)	0500/–रूपये(प्रत्येक वर्ग)

8. सचिव (भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध में और पुरस्कारों की संख्या, राशि, स्थान और तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार का समुचित परिवर्तन करने का अधिकार है।
9. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या उसके उपबंधों के निर्वाहन आदि के बारे में, सचिव(भाषा) दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम, बाध्यकर और सर्वमान्य होगा।
10. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, उर्दू सैल और उर्दू अकादमी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/कार्यालय में कार्यरत उर्दू भाषा से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी भी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
11. इन प्रतियोगिताओं के प्रत्येक वर्ग में पिछले वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी इस वर्ष की उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। यदि वह प्रतियोगिता में भाग लेता है और पुरस्कार हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे पुरस्कार में केवल सर्टिफिकेट ही जारी किया जाएगा। जो प्रतियोगी पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह इस वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे उपर का ही पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगें। जो प्रतियोगी पिछले वर्ष प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वह इस वर्ष की प्रतियोगिता में तृतीय या उससे उपर का ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगें या लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे।
12. सुलेख प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार के लिये कम से कम 15 और निबंध में कम से कम 30 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
13. इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को प्रशस्ति–पत्र, नियमानुसर स्वीकार्य नकद पुरस्कार राशि, मोमेंटो/मैडल से सम्मानित किया जाएगा।

●●●

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल)
सी–विंग, सातवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2

उर्दू प्रतियोगिता एवं वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिये प्रपत्र

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. पदनाम : ....

4. उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता : ....

5. विभाग/कार्यालय : ....
(पूरा पता एवं दूरभाष संख्या सहित)

निवास का पूरा पता दूरभाष स0 सहित:..............................

....

6. प्रतियोगिता का नाम तथा वर्ग : ....
जिसमें भाग लेना चाहते हैं।
(निम्न विवरण के अनुसार टिक (✓) करें।)

(i) उर्दू निबंध प्रतियोगिता (कुल अंक 100, समय, एक घंटा)

वर्ग 'क' – भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास अधिकरियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख' – सीनियर सैकेंडरी स्तर से उपर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ग' – सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'घ' – उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

(ii) उर्दू सुलेख प्रतियोगिता (कुल अंक 50 समय 20 मिनट)

वर्ग 'क' भाषा विभाग की उर्दू कक्षा या सम्कक्ष पास या सीनियर सैकेंडरी स्तर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ख' सीनियर सैकेंडरी स्तर से उपर तक उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये।

वर्ग 'ग' उर्दू जानने वाले सामान्य विषयों के अध्यापकों हेतु। (उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़कर)

(iii) **चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स**

उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में कोई वर्ग विभाजन नही है। इस में उर्दू भाषा एवं उर्दू माध्यम के अध्यापकों को छोड़ कर सभी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

**प्रेषण अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मोहर**